

मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, भोपाल
: : संशोधित आदेश : :


भोपाल, दिनांक २१ अगस्त २०१८

क्रमांक एफ-१४-२/२००८/४२-२ :: राज्य शासन एतद् द्वारा "मुख्यमंत्री जन कल्याण (शिक्षा प्रोत्साहन) योजना" में विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक ०९-०७-२०१८ में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

कंडिका ३.५ को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रस्थापित की जाती है:-
राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त स्नातक तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों एवं आईटीआई (ग्लोवल स्किल पार्क को सम्मिलित मानते हुए) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जावेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार


(डा.एम.आर.धाकड़)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

भोपाल, दिनांक २१ अगस्त २०१८


पृ.क्रमांक एफ १४-२/२००८/४२(२)

प्रतिलिपि:-

१. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
२. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन वित्त विभाग।
३. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग।
४. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग।
५. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन मुख्यमंत्री सचिवालय।
६. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय।

7. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
8. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
9. संचालक, कौशल विकास संचालनालय, जबलपुर।
10. संचालक, तकनीकी शिक्षा संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
11. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
12. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
13. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग।
14. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग